

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

अज अदालत:- सुभाष हेमानी (RTS)

प्रकरण संख्या :-75/2018

निर्णय दिनांक 16.10.2018

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये पटवारी
पटवार मण्डल बासेड

बनाम

अप्रार्थी
हरदेवराम पुत्र जगमाल गुर्जर
निवासी बारोड

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :-

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बासेड ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद ग्राम बासेड के खसरा नम्बर 515 में किरम बा.1 मेंसे रकबा 0.0225 हेक्टर भूमि में बाड़ा व पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किया है। जिस पर बाद धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह पट्टा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी हर देव राम से नोटिस तामील होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 16.10.2018 को उपस्थित होकर जबाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दरतावेजो एवम निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम बासेड के खसरा नम्बर 515 में किरम बा.1 मेंसे रकबा 0.0225 हेक्टर भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से वेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रुपये प्रति हेक्टर की दर से अतिक्रमण रकबा 0.0225 हेक्टर भूमि के 0.14 रुपये लगान का 50 गुणा 7 /- अक्षरे सात रुपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को कर्मश मांग कायमी व वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से मौलिक रूप से वेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर